

प्रेषक

सिविल सर्जन,
जीन्द।

प्रेषित

दिव्या वेस्ट मैनेजमेन्ट कंपनी,
गांव व डाकघर शाहपुर जिला जीन्द।

पत्र क्रमांक BMW/2025/494

दिनांक 16/09/2025

विषय:- बायोमैडिकल वेस्ट का बार कोड लागू करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि आपको बायोमैडिकल वेस्ट जिला जीन्द में बार कोड का कार्य दिनांक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक दिया गया था जो दिनांक 31.05.2025 को समाप्त हो रहा है। बायोमैडिकल वेस्ट का उठान व निपटान में बार कोड सिस्टम लागू किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपको पूर्व निर्धारित दरों पर दिनांक 01.06.2025 से 31.03.2026 तक बार कोड लगाने का कार्य दिया जाता है। यदि आप सहमत हैं तो अपना सहमती पत्र इस कार्यालय में भिजवाते हुए 15 दिनों के अन्दर-अन्दर सभी संस्थाओं से उक्त बारे अलग-अलग एग्रीमैन्ट कर दौहरी प्रति में इस कार्यालय में जमा करवाएं। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोट:- इसके अतिरिक्त आपको यह भी लिखा जाता है कि उपरोक्त समयावधि में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशानुसार निर्धारित शर्तों/नियमों/दरों में होने वाला बदलाव आपको मान्य होगा।

पृ0 क्रमांक BMW/2025/495-500

उप सिविल सर्जन (BMW)

कृते: सिविल सर्जन, जीन्द।

दिनांक 16/09/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक 3 पी0एम0-2(बायोमैडिकल वेस्ट)-/2021/24937-58 दिनांक 20-09-2021 की अनुपालना में।
2. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, ना0ह0 जीन्द।
3. उपसिविल सर्जन, टीबी जीन्द।
4. प्रवर चिकित्सा अधिकारी सभी एस.डी.एच./सी.एच.सी./पोलिक्लीनिक जिला जीन्द।
5. ईचार्ज/प्रभारी अर्बन पी.एच.सी. 1 व 2 जीन्द शहर व NQAS के तहत चयनीत नवीन हैल्थ वेलनंस सेंटर।
6. लेखा शाखा कार्यालय सिविल सर्जन, जीन्द।

उप सिविल सर्जन (BMW)

कृते: सिविल सर्जन, जीन्द।